



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

8 भाद्र, 1944 (श०)

---

संख्या - 429 राँची, मंगलवार, 30 अगस्त, 2022 (ई०)

---

#### कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

-----

अधिसूचना

22 जुलाई, 2022

**संख्या-03/मुकदमा-03-03/2020 का. 4481--**श्री सत्येन्द्र तिवारी, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-316/03), सेवानिवृत्त परियोजना निदेशक, समेकित जनजातीय विकास अभिकरण, लातेहार के द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या 2127 दिनांक 06.03.2019 द्वारा अपर सचिव तथा विशेष सचिव स्तर में भूतलक्षी प्रभाव से प्रदान की गई वैचारिक प्रोन्नति का वित्तीय लाभ हेतु माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में W.P.(S) No-305/2020 सत्येन्द्र तिवारी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया। उक्त वाद में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 07.01.2021 को न्यायादेश पारित किया गया, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत है :-

"10. Moreover, Rule 58 of Jharkhand Service Code and Rule 74 of the Financial Rules of the Government of Jharkhand have been considered by the Division Bench of Patna High Court in the case of 'Dr. Paras Nath' (supra) and the co-ordinate Bench of this Court in the case of 'Suryadeo Prasad' (supra). The petitioner has already been acquitted in criminal case and thereafter promotion order was passed.

11. As a cumulative effect of the above discussions, the writ petition succeeds.

12. The Court issue a writ in the nature of mandamus to the respondents to fix and pay to the petitioner the salary and allowances, his pension, gratuity, etc. payable to the petitioner on the basis of such determination as prayed in the writ petition."

2. झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-58 तथा झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम-74 के अनुसार पद का वेतन पदधारण की तिथि से देय है। श्री तिवारी प्रोन्नति से पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अतः उन्हें बकाया वेतन अनुमान्य नहीं किया गया है। उक्त न्यायादेश के विरुद्ध माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में इस आशय का LPA No. 274/2021 झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया है, जिसमें दिनांक 26.04.2022 को पारित न्यायादेश में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा LPA को dismissed कर दिया गया।

3. श्री सत्येन्द्र तिवारी के विरुद्ध दर्ज विशेष वाद संख्या-09/88 में आरोप पत्र दायर किये जाने की सूचना प्राप्त होने के उपरांत उन्हें अपर सचिव स्तर तथा विशेष सचिव स्तर पर प्रोन्नति नहीं प्रदान की गई थी।

4. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-IX-सह-विशेष न्यायाधीश, धनबाद द्वारा दिनांक 26.09.2014 को पारित न्यायादेश में श्री तिवारी को आरोप मुक्त किया गया, जिसके विरुद्ध निगरानी विभाग के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड में Acquittal appeal (DB) No. 29/2015 State through Dy. Superintendent of Police Vigilance Bureau (ACB), Ranchi vs State of Jharkhand and Satyendra Tiwari दायर किया गया। उक्त Acquittal appeal को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 03.04.2018 को पारित न्यायादेश में खारिज कर दिया गया।

5. उक्त Acquittal appeal को निरस्त किये जाने से पूर्व श्री सत्येन्द्र तिवारी दिनांक 31.01.2017 को सेवानिवृत्त हो गये थे। अतः श्री तिवारी को विभागीय अधिसूचना संख्या 2127 दिनांक 06.03.2019 के द्वारा निम्नांकित कोटियों में भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की गई :-

| क्र० | कोटि                                                          | तिथि       |
|------|---------------------------------------------------------------|------------|
| i    | अपर सचिव स्तर<br>(वेतनमान- PB IV-37400-67000 ग्रेड-पे 8700)   | 03.12.2013 |
| ii   | विशेष सचिव स्तर<br>(वेतनमान- PB IV-37400-67000 ग्रेड-पे 8900) | 25.11.2016 |

6. श्री सत्येन्द्र तिवारी के द्वारा दायर W.P.(S) No.- 305/2020 में दिनांक 07.01.2021 को पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु अवमाननावाद संख्या 371/2021 दायर किया गया है ।

7. उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा W.P.(S) No- 305/2020 में दिनांक 07.01.2021 तथा दायर अवमाननावाद संख्या 371/2021 के अनुपालनार्थ झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम-74 झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-58 एवं वित्त विभागीय संकल्प सं०- 2074/वि(2), दिनांक 04.04.1985 जो भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति व आर्थिक लाभ नहीं दिये जाने के प्रावधान से सम्बन्धित है एवं अन्य संगत परिपत्रों को विशेष परिस्थिति में शिथिल करते हुए श्री सत्येन्द्र तिवारी, सेवानिवृत्त झारखण्ड प्र०से० (कोटि क्रमांक 316/03) को विभागीय अधिसूचना संख्या 2127 दिनांक 06.03.2019 के द्वारा निम्नांकित कोटियों में भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की गई उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 31.01.2017 तक वित्तीय लाभ की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

| क्र० | कोटि                                                           | तिथि       |
|------|----------------------------------------------------------------|------------|
| i    | अपर सचिव स्तर<br>(वेतनमान- PB IV- 37400-67000 ग्रेड-पे 8700)   | 03.12.2013 |
| ii   | विशेष सचिव स्तर<br>(वेतनमान- PB IV- 37400-67000 ग्रेड-पे 8900) | 25.11.2016 |

8. इसे पूर्वोदाहरण नहीं माना जाएगा ।

9. प्रस्ताव पर विभागीय संलेख संख्या 4179 दिनांक 13.07.2022 के माध्यम से राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक 15.07.2022 को सम्पन्न बैठक की मद संख्या 40 में राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**ब्रह्मदेव मोदी,**  
सरकार के अवर सचिव ।

-----